

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/15-16/44969-78 दिनांक : 11/12/19

परियोजना अधिकारी  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,  
उदयपुर।

विषय : राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटडा मे टॉयलेट ब्लॉक निर्माण की राशि की व्यवस्था के संबंध मे।

प्रसंगः--आपका पत्रांक 879 दिनांक 07.06.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय पत्रांक एफ-5/अभि./सीटीएडी/good governance /15-16/13831-44 दिनांक 25.04.2018 द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटडा मे टॉयलेट ब्लॉक निर्माण की वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 12.00 लाख की जारी की गई एवं कार्य की कार्यकारी एजेन्सी - सार्वजनिक निर्माण विभाग को नियुक्त किया गया।

उपरोक्त कार्य हेतु राशि रु. 12.00 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-60/16-17 जयपुर दिनांक 09.08.2016 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओ मे अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु प्राप्त राशि मे से व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे उपलब्ध है।

स्वीकृति की शर्तें पूर्ववत रहेगी।

  
(शिवांगी स्वर्णकार)I.A.S  
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/good governance/15-16/44969-78 दिनांक : 11/12/19  
प्रतिलिपि :-

1. जिला कलक्टर, उदयपुर।
  2. उप खण्ड अधिकारी, कोटडा।
  3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर।
  4. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त उदयपुर।
  5. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटडा, जिला उदयपुर।
- वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं-60/16-17 जयपुर दिनांक 09.08.2016 में से राशि रु. 12.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तान्तरित करे।
1. निदेशक मोनिटरिंग/कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
  2. प्राचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटडा जिला उदयपुर।
  3. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)